



राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान
(वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार)
National Institute of Fashion Technology
(Ministry of Textiles, Government of India)



छात्रावास के छात्रों के लिए सामान्य नियम

GENERAL RULES FOR HOSTEL STUDENTS

निफ्ट, कन्नूर 2024-25

NIFT, KANNUR 2024-25

विषय/CONTENTS

1	परिचय/INTRODUCTION	3
2	छात्रावास के लिए नियम/विनियम RULES/REGULATION FOR HOSTEL ACCOMMODATION	3
3	छात्रावास/भोजनकक्ष फीस HOSTEL/MESS FEES	6
4	छुट्टी/आउट पास नियम LEAVE /OUT PASS RULES	7
5	रैगिंग/RAGGING	8
6	चिकित्सा आपात/MEDICAL EMERGENCIES	9
7	अनुलग्नक(प्रारूप सं. 1 - 9) ANNEXURE (FORM NO. 1 - 9)	10



1 परिचय/INTRODUCTION

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट अधिनियम 2006 द्वारा शासित एक सांविधिक संस्थान है जिसकी स्थापना 1986 में वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के संरक्षण के तहत हुई। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान फैशन शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसा अगुआ है जिसके पास ज्ञान, शैक्षिक स्वतंत्रता, समालोचनात्मक स्वतंत्रता तथा सर्जनात्मक सोच को समाहित करने की योग्यता है। शैक्षणिक समावेशीता संस्थान की विस्तारवादी योजना का उत्प्रेरक रहा है। कई वर्षों से निफ्ट देश के सभी दिशाओं में अपनी शाखा को फैलायी है। अपने 19 व्यवसायिक रूप से नियंत्रित परिसरों के माध्यम से राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान यह सुनिश्चित करने के लिए एक संरचना प्रदान करती है कि देश के विभिन्न भागों से भावी विद्यार्थी अपने परम क्षमता को प्रदत्त कार्यक्रमों के जरिये प्राप्त करते हैं। इसमें भर्ती की प्रक्रिया अखिल भारतीय योग्यता क्रम पर आधारित है। इसलिए प्रत्येक केंद्र देश तथा विदेश के विभिन्न भागों से प्राप्त करती है। ऐसे विद्यार्थियों की सुविधा हेतु निफ्ट सभी केंद्रों में आवासीय सुविधा प्रदान करती है। भिन्न-भिन्न केंद्र अपनी-अपनी स्थिति एवं अवसंरचना पर आधारित आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराती है। इस संबंध में सुविधाएं का विवरण संबंधित केंद्रों से प्राप्त किया जा सकता है। छात्रावास सामुदायिक रूप से ठहरने की जगह है जहां शांतिपूर्वक ठहरने एवं अध्ययन करने के लिए एक अनुशासित, स्वस्थ एवं अनुकूल वातावरण की आवश्यकता है। इसलिए छात्रावास नियमों एवं विनियमों द्वारा शासित किया जाता है जिसे छात्रावास के सभी विद्यार्थी निवासियों द्वारा पालन की जानी चाहिए। यह नियमावली निफ्ट के कन्नूर परिसर में भी लागू है।

National Institute of Fashion Technology (NIFT), set up in 1986 under the aegis of Ministry of Textiles, Government of India, is a Statutory Institute Governed by the NIFT Act 2006. National Institute of Fashion Technology is a leader in fashion education with the ability to integrate knowledge, academic freedom, critical independence and creative thinking. Academic inclusiveness has been a catalyst in the expansion plans of the institute. Over this period, NIFT has spread its wings across the length and breadth of the country. Through its 19 professionally managed campuses, National Institute of Fashion Technology provides a framework to ensure that prospective students from different parts of the country achieve their highest potential through the programmes offered. Admission is based on all India with merit ranking. Therefore, each centre gets students from every part of the country and other countries as well. To facility such students NIFT provides residential facility at all the centres. Residential facilities differ from centre to centre depending on the location and infrastructure. The details of facilities in this regard can be obtained from respective centres. Hostel is a community living and need to have disciplined, healthy and congenial atmosphere for peaceful stay and study. Therefore, the hostel is governed by a set of rules and regulations which should be followed by all the student residents of the hostel. This manual applies to Kannur campus of NIFT.



कन्नूर परिसर में निम्नलिखित प्रकार के आवास की सुविधा उपलब्ध हैं।

Following types of accommodation is available at Kannur Campus.

- शौचालय संलग्न वातानुकूलित कक्ष जिसमें तीन अधिभोगी होंगे।
- AC Rooms with triple occupancy having attached bathroom.
- सार्वजनिक शौचालय सहित दो अधिभोगी युक्त वातानुकूलित कक्ष।
- AC Rooms with double occupancy having common bathroom.
- सार्वजनिक शौचालय सहित तीन अधिभोगी युक्त गैर-वातानुकूलित कक्ष।
- Non-AC Rooms with Triple occupancy having common bathroom.

2 छात्रावास के लिए नियम/विनियम/RULES/REGULATION FOR HOSTEL ACCOMMODATION

2.1 आवासीय सीटों की उपलब्धता सीमित और निश्चित है और इसलिए छात्रावास सुविधा का आवंटन यथा निर्धारित शर्तों तक सीमित है। छात्रावास में प्रवेश करने का दावा अधिकार के तौर नहीं किया जा सकता है।

Availability of residential seats is limited and fixed and therefore allocation of the hostel facility restricted to conditions as prescribed. Admission in the hostel cannot be claimed as a matter of right.

2.2 निफ्ट छात्रावास की सुविधा केवल विश्वसनीय विद्यार्थियों के लिए है। उन विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी जो शहर के बाहर से आते हैं।

NIFT Hostel facility is only for the bonafide students. Preference will be given to students coming from outside city areas

2.3 छात्रावास में प्रवेश के लिए आवेदन प्रपत्र वेबसाइट में उपलब्ध है। आवेदन प्रपत्र में माता-पिता का नाम, पता, ई-मेल और दूरभाष संख्या और स्थानीय अभिभावक का संपर्क संख्या की सही जानकारी भरकर जमा करने होंगे और जहां आवश्यकता हो वहां फोटो भी चिपकाना है। किसी भी समय माता या पिता/स्थानीय अभिभावक का पता/दूरभाष संख्या में परिवर्तन होता है तो उसे छात्रावास/कार्यालय को लिखित रूप में सूचित किया जाना है।

The application forms for admission to the hostel is available in website. The application forms will have to be submitted giving correct information about the names, addresses of the parents with email id and telephone numbers, local guardians contact nos. etc and also fix the photos wherever necessary. Any change of address / telephone number of the parent /local guardian, at any point of time, has to be intimated to the hostel/ office in writing.

2.4 विद्यार्थी को कक्ष आवंटन के समय व्यक्तिगत रूप से अवश्य उपस्थित रहना चाहिए। कक्ष को एक बार आवंटित करने के बाद उपलब्धता के आधार पर परिवर्तन की अनुमति दी जा सकती है।

The student must personally be present at the time of allotment of Rooms. Rooms once allotted may be allowed changes based on availability.



2.5 सभी छात्रावासी दीर्घावकाश में जाने के पहले वार्षिक रख-रखाव के लिए छात्रावास को खाली करेंगे। विद्यार्थियों को गर्मी का दीर्घावकाश के दौरान अपने सामानों को एक सार्वजनिक स्थान पर रखने के लिए कहा जा सकता है।

All Hostel residents shall vacate the hostel rooms for annual maintenance before they leave for the vacation. The students can be asked to keep their luggage at a common place during summer vacation.

2.6 कक्षाओं को खाली करने के पहले विद्यार्थियों को दो प्रतियों में निर्धारित कक्षा वैकेटिंग पर्ची को भरना चाहिए।

Before vacating the rooms, the students should fill up the prescribed Room Vacating Slip in duplicate.

2.7 विद्यार्थी को निष्कासित किया जा सकता है यदि तर्कसंगत आधार पर यह विश्वास होता है कि उनकी उपस्थिति निष्काम/अन्य विद्यार्थियों के हित के लिए हानिकारक साबित होगी।

Student can be expelled if it has reasonable ground to believe that her presence would be detrimental to the interest of NIFT /other students.

2.8 सभी आवासियों से अपेक्षित है कि वे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थान के विद्यार्थियों से अपेक्षित मानक व्यवहार को बनाए रखें। उन लोगों से यह उम्मीद की जाती है कि वे परिसर के आंतरिक एवं बाह्य के प्रत्येक से नम्रतापूर्वक एवं निष्पक्ष व्यवहार करें और छात्रावास के नियमों का पालन करें।

All residents are required to maintain standards of behavior expected of students of a prestigious National institution. They are expected to behave courteously and fairly with everyone both inside and outside the campus also follow the hostel rules

2.9 छात्रावास के निवासियों को प्रत्येक दिन महत्वपूर्ण सूचनाएं और अनुदेशों के लिए छात्रावास सूचना पट्ट को अवश्य अवलोकन करना चाहिए। किसी भी विद्यार्थी को कक्षा के साथ छात्रावास के परिसर में भोजन पकाने की अनुमति नहीं दी जाती है।

Hostel Resident must look up the Hostel Notice Board every day for important notices and instructions. No student is permitted to cook any food within the hostel premises including in the rooms.

2.10 विद्यार्थी अपने निजी सामानों एवं कार्यालय से जारी सामानों की सुरक्षा के जिम्मेदार स्वयं होंगे।

Students will be responsible for safety and security of their personal belongings and items issued to them.

2.11 जब उक्त संस्थान बंद रहती है तब छात्रावास के निवासियों को छात्रपाल(छात्रावास) के पूर्व अनुमति के बिना छुट्टियों के दौरान, शनिवार और रविवार को छात्रावास छोड़ना मना है।

Hostel residents not to leave the hostel on holidays, Saturdays and Sundays when the Institute is closed without the prior permission of the Hostel Warden.

2.12 छात्रावास के निवासी प्रवेश के समय उनको जारी छात्रावास के सभी सामानों को छात्रावास खाली करने के समय छात्रपाल(छात्रावास) / छात्रावास लिपिक को अच्छी अवस्था में लौटाने के जिम्मेदार होंगे।

Hostel residents are responsible for returning all the hostel articles issued to them at the time of admission in the good/original conditions to the Hostel Warden/Hostel Clerk at the time of vacating the Hostel.

2.13 छात्रावास के निवासी छात्रावास के किसी भी संपत्ति, साज-सज्जा वस्तुओं एवं सामानों को क्षति नहीं पहुंचाएंगे। यदि नियमों का उल्लंघन होता है तब उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और क्षति के अनुसार जुर्माना भी देना होगा।



Hostel residents shall not damage any hostel property, fittings, articles and items. In case of violation, disciplinary action will be taken against them in addition to fine as per the damage.

- 2.14 छात्रावास के निवासी अपने-अपने कक्ष में म्यूजिक सिस्टम/कंप्यूटर में संगीत/स्पीकर सिस्टम को नहीं बजाएंगे। विद्यार्थी विनोद कक्ष, मनोरंजन की सुविधाएं, आंतरिक खेलों के लिए आवश्यक वस्तुओं तथा अन्य संबंधित साहित्यिक सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। छात्रपाल की अनुमति के बिना छात्रावास के फर्नीचर को एक जगह से दूसरी जगह अवश्य नहीं ले जाना है। छात्रावास की संपत्ति में किसी भी तरह की क्षति होने पर छात्रपाल को तत्काल अवश्य रिपोर्ट की जानी चाहिए। छात्रावास के निवासियों पर क्षति के लिए प्रभार लगाया जाएगा।

Hostel residents should not play music system /computer / Speaker systems in their rooms. Students can use common rooms, recreation facilities, other allied literature and articles required for indoor games without damaging them. Hostel furniture must not be moved without the permission of the Warden. Any damage to the hostel property must be reported immediately to the Warden. Hostel Residents will be charged for damages.

- 2.15 पोस्टर चिपकाना, भित्तिलेखन, दीवार पर खड़िया से घिसना, किसी भी तरह का नारा या किसी भी रूप में छात्रावास को विकृत करने की अनुमति नहीं है। छात्रावास के प्राधिकारियों को छात्रावास के नियमों का निरीक्षण एवं सुनिश्चित करने के लिए निवासियों के बोरिया बिस्तर, छात्राकक्ष को किसी भी समय अचानक स्थल जांच करने का अधिकार है।

Pasting of posters, writings graffiti, wall chalking, slogans of any kind or defacing the hostel in any form is not allowed. Hostel Authorities reserve the right to make surprise spot checks at any time on the Hostel Rooms, bags & baggage of the residents to monitor and ensure hostel rules.

- 2.16 छात्रावास के निवासियों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने-अपने कक्ष को ताला लगाकर रखें। छात्रावास के निवासियों को कक्ष बदलने या उन्हें आवंटित कक्ष को छोड़कर किसी दूसरे के कक्ष में सोने की अनुमति नहीं है। कक्ष, सार्वजनिक क्षेत्र और आस-पास के वातावरण को साफ तथा स्वस्थ रखा जाना चाहिए।

Hostel Residents are advised to keep their rooms locked. Hostel Residents are not permitted to change rooms or to sleep anywhere other than in their allotted room. The rooms, common areas and surroundings should be kept clean and hygienic.

- 2.17 कक्ष में स्त्री, चुल्हा, केतली, स्टोव, गर्म प्लेट्स जैसी विद्युतीय उपकरणों का रखना सख्त मना है। यदि उक्त उपकरण पाया जाता है तो निवासियों को दंडित किया जाएगा और वस्तुओं को जब्त किया जाएगा। निवासी जल का उपयोग आवश्यकतानुसार करेंगे। जब लाइट/पंखा का उपभोग नहीं होता है तब उसे बंद कर दें।

Keeping electric appliances such as iron, oven, kettle, stove, hot plates etc. in the Room is prohibited. If found the resident will be penalized and the item will be confiscated. The Resident shall economize the use of water. Lights / fans must be switched off when not in use.

- 2.18 यदि कोई विद्यार्थी सप्ताहांत एवं छुट्टियां या किसी भी समय (कार्य दिवस) के दौरान जाना चाहता है तब उसके माता-पिता या अधिकृत स्थानीय अभिभावक को निर्धारित प्रपत्र भरकर जमा करना होगा और उसके पहले छात्रपाल/सीसी से पूर्व अनुमति लेना होगा।

If any student wishes to be away from the hostel during the weekend and holidays or any other time (working days), her parents or authorized Local Guardian will have to fill up prescribed form and to take prior permission from the Warden/CC.



- 2.19 प्रत्येक विद्यार्थी को उनके निजी दायित्व पर कक्ष आवंटित किया जाता है। उसे अपनी कक्ष, छात्रावास और इसके वातावरण का अनुरक्षण करनी होगी। विद्यार्थियों को अपने कक्ष में किये जाने वाले सभी नियमित रखरखाव कार्यों (सिविल, बढ़ईगरी और किसी अन्य इलेक्ट्रिकल) और या क्षति/टूट-फूट, यदि कोई हो, के बारे में छात्रपालिका के जरिये रखरखाव को ध्यान में लाना चाहिए।
Rooms are allotted to each student on her personal responsibility. She should see to the upkeep of her room, hostel and its environment. Students should bring to the notice of the Maintenance through the Warden, for all routine maintenance works (Civil, Carpentry, and Electrical of any other) and or damage /breakage if any, to be carried out in their rooms.
- 2.20 संस्थान में इंटरनेट की सुविधा का शैक्षिक और/या ज्ञान साझा करने के मकसद से सख्ती से उपयोग की जानी चाहिए और विद्यार्थी अपने संगणकों और विनोद कक्षों में चोरी की गई/अनधिकृत/गैर-अनुज्ञप्तिधारी फिल्मों को पर्दे पर नहीं देखेंगे।
The institute's Internet facility should strictly be utilized for educational and/or knowledge sharing purpose, the students should not screen pirated /unauthorized / unlicensed movies in their computers and common rooms.
- 2.21 In case of damage to or loss of hostel property the cost will be recovered from the students responsible for such damage or loss, if identified, or from all the students of the hostel, as decided by the Warden / Asst. Warden and Administration Department.
- 2.22 नशे में धुत होकर छात्रावास परिसर में प्रवेश करना, कोई नशीली दवा या नशीली दवा से संबंधित पदार्थ रखना, संस्थान परिसर के भीतर गंदगी फैलाना, शराब/नशीला पदार्थ धूम्रपान करना, तंबाकू, पान या गुटखा या अन्य नशीली दवाओं से संबंधित पदार्थ चबाना और/या संस्थान परिसर में थूकना सख्त वर्जित है और उक्त का उल्लंघन करने पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
Entering the hostel premises in intoxicated, possessing any drug or drug related substance, littering inside the institute's premise alcohol/ drug smoking, chewing tobacco, Betal (Pan) or Gutkha or other drug related substance and/ or spitting in the institute's premises is strictly prohibited and violation shall invite strict disciplinary action.
- 2.23 कपड़े धोना जैसे निजी कार्य के लिए अनधिकृत व्यक्तियों को काम पर लगाना अनुमति नहीं है। यदि किसी अपराधी को आश्रय/आश्रय देते हुए पाया गया तो वह अपराधी की तरह ही दंड का भागी होगा।
Employing unauthorized persons for personal work as washing clothes, etc., is not permitted. Student found hosting/harboring an offender will be also liable to the same punishment as offender
- 2.24 निवासी परिसर के भीतर या बाहर किसी गैर-राष्ट्रीय, गैर-सामाजिक या अवांछनीय गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। गैर-छात्रावास निवासी का स्वागत कक्ष और/या भोजनालय में दौरा करना वर्जित है।
Residents should not participate in any anti-national, antisocial or undesirable activity in or outside the campus. The visit of non-hostel resident(s) is restricted to the reception and/or mess.
- 2.25 निफ्ट छात्रावास एवं परिसर में धूम्रपान करना सख्त वर्जित है।
Smoking is strictly prohibited in the NIFT Hostel & Campus.
- 2.26 छात्रावास के संकुल में पार्टी करना, सामाजिक रूप से एकत्र होना और बैठक करने की अनुमति नहीं है। भोजनालय में पार्टी का आयोजन करने के लिए एसडैक से लिखित रूप में अनुमति अनिवार्य है। फिर भी, इस तरह के पार्टी से किसी अन्य विद्यार्थी को नुकसान नहीं पहुंचनी चाहिए।



Parties, Social gatherings, Meetings etc. in the Hostel Complex are not permitted. Mess-party is to be organized with written permission from the SDAC. However, such parties should not cause any discomfort to other students.

- 2.27 यदि छात्रावास के निवासी अपने कक्षसाथी को दो घंटे से अधिक समय के बाद लापता पाता है तो उसे छात्रापाल को तत्काल कक्षसाथी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रिपोर्ट करने होंगे।

Hostel resident, who finds her room-mate missing for more than 2 hours, must report to the warden immediately to ensure safety of hostel inmates.

- 2.28 विद्यार्थियों को 9 बजे के बाद छज्जा में नहीं जाना चाहिए। यदि 9 बजे के बाद किसी को उक्त स्थान पर घुमते पाया जाता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

Students should not go to the balcony area after 09.00pm. If anybody is found loitering after 09.00pm action would be initiated against them.

- 2.29 छात्र परिसर एक ऐसे जगह में होना चाहिए जहां विद्यार्थी के पास अध्ययन एवं पर्याप्त आराम करने के लिए संभावित शर्तें हो सकता हैं। शोरगुल का स्तर निम्न होनी चाहिए ताकि किसी दूसरे को अध्ययन या आराम से सोने का अवसर प्राप्त हो सकें। विनोद कक्ष में उपलब्ध कराये गए दूरदर्शन, रेडियो इत्यादि रात 10 बजे तक अवश्य बंद होनी चाहिए। इन नियमों का उद्देश्य सभी छात्रावास निवासियों के लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करना है।

A Hostel Campus should be a place where students can have the best possible conditions for studying and adequate rest. Noise level must be kept low to allow other's the opportunity to study or sleep in comfort. Television, Radio etc. provided in the Common Room must be switched off by 10.00 pm. These rules are intended to ensure a conducive environment for all hostel Residents.

- 2.30 निवासी के अतिथि को छात्रापाल /प्रशासन विभाग की पूर्व अनुमति लेकर अपने प्रतिपाल्य से भेंट करने की अनुमति दी जाए। बाहर के विद्यार्थी को अनुमति के बिना छात्रावास में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। छात्रावा में विजिट करने के लिए माता-पिता/अभिभावकों सहित सभी दर्शकों को सुरक्षा गार्ड और छात्रावास प्रवेशद्वार पर उपलब्ध आवश्यक एंटीज करने होंगे।

A guest of a resident may be permitted to visit their ward, with the prior permission by the Warden/ Administration Department. No day scholar is allowed to enter the hostel without permission. All visitors to the hostel including the parents/guardians will have to make necessary entries in the visitor's book available at the hostel entrance with the security guard.

मिलने का समय: सोमवार से शुक्रवार तक संध्या 5:30 से 7:00 बजे तक और शनिवार/रविवार/अवकाश के दिन सुबह 10:30 से संध्या 6:00 बजे तक।

Visiting Hours: 5:30 pm to 7:00 pm on weekdays and 10:30 am to 6:00 pm for Saturday/Sunday/holiday.

- 2.31 लॉकर की सुविधा प्रति 100 रुपये के साथ सुरक्षा जमा के रूप में 50 रुपये प्रति भुगतान पर उपलब्ध होगा।

Locker will be available on payment basis Rs. 100/- plus refundable security deposit of Rs.50/.



3. छात्रावास / भोजनालय शुल्क/HOSTEL/MESS FEES

3.1 केंद्र दर केंद्र अनुसार छात्रावास हेतु लागू शुल्क संरचना विद्यार्थियों से वसूल की जाएगी। छात्रावास में प्रवेश करने की अनुमति केवल छात्रावास शुल्क का भुगतान और लेखा अनुभाग द्वारा जारी रसीद को छात्रपाल / छात्रावास प्रभारी को प्रस्तुत करने दी जाएगी। एकबार छात्रावास की फीस का भुगतान करने पर किसी भी परिस्थिति में प्रतिदेय नहीं होगा।

The fees structure as applicable for the hostels will be charged from the students which may vary from centre to centre. Admission in the hostel will be allowed only on Payment of Hostel fee and on produce the receipt issued by the accounts section to warden/hostel in- charge. Hostel fee once paid will not be refunded under any circumstances.

3.2 पूरे वर्ष का छात्रावास शुल्क अग्रिम रूप से भुगतान की जानी चाहिए। शैक्षणिक वर्ष (2024 - 25) के लिए छात्रावास शुल्क निम्न सारणी में दिया गया। शुल्क के अतिरिक्त लागू जीएसटी देय है।

Hostel Fees for entire year should be paid in advance. Hostel fee for Academic Year (2024-25) given in the table below. In addition to the fee GST as applicable is payable.

क्र मां क	विवरण	तीन अधिभोग हेतु सार्वजनिक शौचालय युक्त गैर-वातानुकूलित आवास	दो अधिभोग हेतु सार्वजनिक शौचालय युक्त वातानुकूलित आवास	तीन अधिभोग हेतु सार्वजनिक शौचालय युक्त वातानुकूलित आवास
S. No	Particulars	Non-A/c accommodation with triple occupancy having Common Bath Room	A/c accommodation with double occupancy having Common Bath Room	A/c accommodation with triple occupancy having attached Bath Room
01	छात्रावास शुल्क Hostel Fees	Rs. 48000 /-	Rs. 90000 /-	Rs. 90000 /-
02	सुरक्षा जमा Security Deposit	Rs. 10,000 /- (छात्रावास हेतु & भोजनालय हेतु प्रतिदेय/For Hostel & Mess, refundable)		
03	भोजनालय शुल्क Mess Fees	Rs.3000/- प्रति माह लगभग/per month approx. (त्रैमासिक आधार पर भुगतान किया जाए / To be paid on quarterly basis)		
	Total	Rs. 58000 /-	Rs. 100000 /-	Rs. 100000 /-

*प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। यदि रिक्ति होती है तो बाद में उक्त के विषय में सूचित किया जाएगा।

AC hostel accommodation is presently not available to First year students. If vacancy arises, same will be notified later.



3.3 चतुर्थ /अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को एक सत्र के लिए छात्रावास शुल्क का भुगतान किया जाएगा क्योंकि उन्हें प्रशिक्षण / जीपी के लिए जाना है।

Fourth/final year students will be allowed to pay hostel fee for one semester as they have to proceed for internship/GP in last semester.

3.4 भोजनालय प्रभार अतिरिक्त होगा जिसे विद्यार्थियों द्वारा भोजनालय संविदाकार को प्रत्यक्ष रूप से भुगतान करना होगा। विद्यार्थियों को अपने छात्रावास और/या भोजनालय और/या कैफेटेरिया का बकाया समय पर चुकाना चाहिए और भोजनालय/कैफेटेरिया के भीतर किसी भी प्रकार के उपद्रव में स्वयं शामिल नहीं होना चाहिए।

Mess charges will be extra which will have to be paid by students directly to the mess contractor. Students should timely pay their hostel and/or mess and/ or cafeteria dues on time and should not involve themselves in any type of nuisance inside the mess / Cafeteria.

3.5 No hostel fees will be refunded irrespective of the fact whether a student has been placed in the industry or gone on training in the beginning or in between the semester.

3.6 प्रतिदेय सुरक्षा जमा की प्रक्रिया उक्त पाठ्यक्रम की पूर्णता से छह माह के भीतर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जमा करने पर की जाएगी।

Refundable Security Deposit will be processed on submission of application in the prescribed form within six months from completion of the course.

3.7 किसी भी विद्यार्थी को भोजनालय का सदस्य होने पर ही छात्रावास में ठहरने की अनुमति दी जाती है। विद्यार्थियों को निम्नानुसार छात्रावास और भोजनालय का समय का सख्ती से पालन करना चाहिए:

No student is allowed to stay in the hostel without being a member of the mess. Students should strictly adhere to the hostel and mess timings as under:

	कार्य दिवस/ Working days	शनिवार और रविवार
सुबह	का 7:00 AM से to 09:00 AM	9.00AM - 11.00AM
दोपहर	का 12:00 दोपहर से /Noon to	1.00PM - 2.30 PM
रात्रि	का 8:00 PM से to 9:30 PM	8.00PM - 9.30 PM
* संशोधन के अधीन है चाहे जब कभी हो/Subject to revision as and when made.		

3.8 भोजनालय में स्वयं-सेवा प्रणाली का अनुसरण किया जाएगा। विशेष खाद्य को छोड़कर खाने का मात्रा असीमित होगी।

The system of self-service will be followed in the mess. The quantity of food will be unlimited except in the case of special items.

3.9 मांसाहारी भोजन सप्ताह के विशेष दिनों में अतिरिक्त खाद्य के रूप में परोसा जाएगा।

Non - vegetarian food may be served as extra items on specified days of the week.

3.10 किसी भी विद्यार्थी के अतिथि सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से कैश का भुगतान करके खाना खा सकते हैं।

Guests of any student can dine in the mess with prior permission from the competent authority by paying in cash.

3.11 24 घंटे से अधिक समय तक भोजनालय से किसी विद्यार्थी की अनुपस्थिति की सूचना रसोइया को भोजन की आपूर्ति करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में दी जानी चाहिए भले ही विद्यार्थी भोजनालय कटौती हेतु पात्र नहीं है ताकि भोजन की बर्बादी न हो।

Absence of a student from the mess exceeding 24 hours, should be intimated to the Caterer in the prescribed form to regulate the supply of food even though the student is not eligible for mess reduction so that there is no wastage of food.



3.12 विद्यार्थियों को भोजनालय या अपने कक्ष में किसी भी भोजन के अपनी स्वेच्छा से बनाने की अनुमति नहीं है। छात्रपाल के अनुमोदन से आपातकालीन की स्थिति को छोड़कर किसी भी विद्यार्थी के लिए छात्रावास के कक्ष में किसी भी तरह का भोजन नहीं परोसा जाएगा।

Students are not permitted to cook any food on their own accord in the messes or in their rooms. No food will be served in the rooms of the hostel for any student except in emergency with the approval of Hostel Warden.

3.13 विद्यार्थियों को छात्रावास के भीतर पालतु पशुओं को लाना मना है और साथ ही साथ ऐसी प्रथा को प्रोत्साहित भी नहीं करना होगा। खाना खाने के बाद विद्यार्थी कप, प्लेट्स या किसी अवशिष्ट भोजन को निर्धारित बिन में रखेंगे।

Students should not bring pet animals into the hostel or encourage such practice. After eating, Students shall keep the cup, plates or any leftovers in the designated bins.

3.14 भोजनालय में प्रदर्शित आहारिका के अनुसार भोजन परोसा जाएगा।

Food will be served as per menu displayed in the Mess.

4 छुट्टी / आउट पास के नियम / LEAVE /OUT PASS RULES

4.1 जब भी विद्यार्थी छात्रावास के बाहर जाता/ वापसी करता है तो उनके द्वारा प्रविष्टि/निकास पंजी भरा जाना है।

Entry/Exit register has to be filled in by the students every time they leave out of the hostel /return back.

4.2 नाईट रोल-कॉल प्रतिदिन 9 बजे रात्रि को होगा और परिवर्तन के अधीन होगी। छात्रावास के प्रत्येक निवासी को रोल-कॉल के समय अपने-अपने कक्ष में अवश्य होनी चाहिए ताकि उक्त कार्य के दौरान हुई असुविधा से बचा जा सकें।

The night roll-call will be taken at 9.00 p.m. daily and subjected to change. Every hostel resident must be present in her room to avoid inconveniences for taking the roll-call.

4.3 यदि छात्रावास के निवासी बाहर जाना चाहते हैं तो उन लोगों को छात्रावास से उचित प्रक्रियाओं का अनुसरण करते हुए पूर्व अनुमति लेने होंगे और छात्रावास कार्यालय में रखे हुए पंजी में संबंधित सूचना प्रविष्टि करने होंगे।

In case the hostel residents want to go out, they will have to take prior permission following due procedures from the Hostel Warden and enter the relevant information in the register kept in the Hostel office.

4.4 छात्रावास के छोड़ने के सारे अनुरोध छात्रावास आवेदन प्रपत्र में पंजीकृत माता-पिता के फोन संख्या के साथ सत्यापित किये जाएंगे। माता-पिता को यह सलाह दी जाती है कि मोबाईल संख्या में यदि किसी भी तरह के परिवर्तन होता है तो तुरंत सूचित करें। विद्यार्थियों को पंजीकृत मोबाईल संख्या के जरिये उनके माता-पिता की पुष्टि मिलने पर ही छात्रावास छोड़ने की अनुमति दी जाएगी।

All requests for leaving the hostel will be verified with the mobile number of the parents that as registered on the Hostel Application Form. Parents are advised to notify of any changes of mobile number. Students will be permitted to leave the hostel only on confirmation with their parents through registered mobile numbers.

4.5 छात्रावास के किसी भी निवासी को अपने स्थानीय अभिभावकों या संबंधियों के घर में देर रात तक किसी कार्यक्रम में शामिल होने या रात में ठहरने के लिए बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक माता या पिता की सहमति युक्त छात्रपाल से पूर्व अनुमति न मिलेगी।

A hostel resident will not be allowed to go for night stay or attending any function in the late hours in their local guardians or relatives' place unless prior approval is taken from the hostel warden along with parental consent.



4.6 रात्रि में बाहर जाने का आवेदन को छात्रावास छोड़ने के कम से कम 24 घंटे पूर्व प्रस्तुत की जानी चाहिए।

The night out application should be submitted at least 24 hours before the time of leaving the hostel.

4.7 छात्रावास के सभी निवासी को रात 8 बजे से पहले छात्रावास में रिपोर्ट करेंगे और उन्हें सुबह 6 बजे से पहले बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाती है।

All hostel residents shall report to the Hostel before 08.00 PM and they are not allowed to go out before 6.00 AM.

5. रैगिंग/RAGGING

4.8 रैगिंग विधि के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है। कोई भी विद्यार्थी दोषी पाया गया तो उसे निष्कासित कर दिया जाएगा और उसेक विरुद्ध अनिवार्य एफआईआर दर्ज भी किया जाएगा।

Ragging is punishable under law. Anyone found guilty will be expelled, in addition to the mandatory FIR being filed against her.

4.9 भारत सरकार के निर्देशानुसार, एक आंतरिक शिकायत समिति गठित की गई है जो यौन उत्पीड़न मामलों का निपटान करेगी।

As per Govt. of India directions. The Internal Complaint Committee is in place to deal with the Sexual Harassment Cases.

4.10 संस्थान में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की रैगिंग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। विद्यार्थियों द्वारा इसका उल्लंघन करने पर गंभीरता से निपटान किया जाएगा। विवरण के लिए इसकी गैर-रैगिंग नीति और विनियमों का अध्ययन करें।

Ragging of students admitted to the Institute is totally banned. Any violation of this by the students (s) will be dealt with seriously. For details kindly go through the Anti - Ragging policy and regulations.

4.11 रैगिंग एक आपराधिक और गैर-जमानती अपराध है, जिसे "कोई भी कार्य करते हुए शोरगुल, उच्छृंखल आचरण का प्रदर्शन" के रूप में कानूनी भाषा में परिभाषित किया गया है। Ragging is a CRIMINAL & NON- BAILABLE offence is defined in legal parlance as, "display of noisy, disorderly conduct doing any acts which

a. किसी शैक्षणिक संस्थान में किसी विद्यार्थी को शारीरिक या मनोवैज्ञानिक नुकसान पहुंचाता है या पहुंच सकता है या आशंका या भय, शर्मिंदगी या शर्मिंदगी पैदा कर सकता है और इसमें शामिल है:-

Causes or is likely to cause physical or psychological harm or raise apprehension or fear, shame or embarrassment to a student in any academic Institution and includes: -

b. ऐसे विद्यार्थी को चिढ़ाना, गाली देना, व्यावहारिक चुटकुले खेलना या उसे चोट पहुंचाना, या Teasing, abusing, of playing practical jokes on or causing hurt to such student, or

c. विद्यार्थी को कोई भी कार्य करने या ऐसा कुछ करने के लिए कहना जो, ऐसा विद्यार्थी सामान्य पाठ्यक्रम में करने के लिए तैयार नहीं होगा।

Asking the student to do any act or perform something which such student will not in the ordinary course be willing to do".



4.12 नये विद्यार्थियों को रैगिंग की दुर्घटनाओं को रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित की जानी चाहिए। जो लोग गवाह या पीड़ित होते हुए भी ऐसा करते हैं, उन्हें भी सजा का भागी होना चाहिए।

Freshers should be encouraged to report incidents of ragging. Those who do so even when being witnesses or victims should also be liable for punishment

4.13 जब रैगिंग का अपराध करने वाले या उसे बढ़ावा देने वाले व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाती है तो संभावित निवारक उपाय के रूप में सामूहिक दंड का सहारा लिया जा सकता है क्योंकि इससे संभावित अपराधी पर रैगिंग न करने के लिए सामुदायिक दबाव सुनिश्चित होगा। When the person committing or abetting the crime of ragging are not identified collective punishment could be resorted to as a possible deterrent measure, as it would ensure community pressure on the potential culprit not to indulge in ragging.

4.14 सभी छात्रावासियों को प्रवेश के समय निर्धारित गैर-रैगिंग शपथ पत्र भरने एवं उस पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है।

All hostellers are required to fill up and sign prescribed Anti - Ragging Undertaking form at the time of admission.

4.15 किसी छात्रावासी के विरुद्ध प्राप्त किसी भी शिकायत को परिसर अनुशासनात्मक समिति के पास विचारार्थ एवं निर्णय हेतु भेजा जाएगा। उक्त अनुशासनात्मक समिति को पूर्णतः यह अधिकार दी जाएगी कि वह मामले से संबंधित किसी भी कर्मचारी सदस्यों और /या छात्रपालों से लिखित बयान प्रस्तुत करने के लिए कह या बुला सकती है। अनुशासनात्मक समिति के निर्णय को निदेशक के पास अग्रेषित की जाएगी जिनका निर्णय ही अंतिम माना जाएगा।

Any complaint received against any hosteller shall be referred for the consideration and decision of the Campus Disciplinary committee. The Disciplinary committee will be fully empowered to call or ask to submit written statement from any staff members and/or wardens concerned with the matter. The decision of the disciplinary committee will be forwarded to Director whose decision shall be final.

4.16 कॉलेज परिसर में किसी भी प्रकार के हथियार - कुंद, तेज धार या आग्नेय शास्त्र, ले जाना या छात्रावसा में ऐसे हथियार रखना एक गंभीर अपराध है और सख्त वर्जित है। सभी प्रकार की चीख-पुकार, हिंसा, खटखटाना, या कोई अन्य कार्य या गतिविधि या व्यवहार जिससे अशांति या झुंझलाहट होने की संभावना हो, सख्त वर्जित है।

Carrying of any type of weapons-blunt, sharp edged or firearms, in the college campus or keeping such weapons in the hostel is a serious offence and is strictly prohibited. All kinds of shouting, violence, knocking, or any other act or movement or behavior that is likely to cause disturbance or annoyance is strictly prohibited.

4.17 विद्यार्थी को जुआ, असामाजिक गतिविधियों, रैगिंग, हड़ताल, धरना, घेराव, अनशन, अन्य विद्यार्थियों और जनता की भावनाओं को भड़काने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होना चाहिए। शिकायत के निवारण के लिए बाहरी एजेंसी का उपयोग, मादक पेय, नशीली दवाओं को रखना या सेवन करना गंभीर अपराध माना जाएगा और छात्रावास से निष्कासन हो सकता है।

The student must not be involved directly or indirectly in fighting gambling, anti-social activities, ragging, strike, picketing, gheraos, fast, arousing of the sentiments of the other students and the public. Use of outside agency for redressal of grievance, possession or consumption of alcoholic drink, intoxicating drugs will be a viewed as serious offence and may lead to expulsion from the hostel.



5 चिकित्सा आपातकालीन / **MEDICAL EMERGENCIES**

5.1 सभी निवासी विद्यार्थियों को अपने-अपने स्वास्थ्य की निजी देखभाल करने की आवश्यकता है और छात्रावास प्राधिकारी ऐसे मामलों की किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं लेंगे।

All resident students are required to take personal care of their health and hostel authority shall not take any responsibility of such cases.

5.2 सभी आवेदकों को प्रवेश के समय किसी भी तरह के स्थायी निःशक्तता या बीमारी या रोग या एलर्जी को प्रासंगिक चिकित्सा कागजातों के साथ खुलासा करने की आवश्यकता है। छात्रपाल / सहायक छात्रपाल स्थायी निःशक्तता या बीमारी या रोग या एलर्जी युक्त निवासियों की एक सूची बनाये रखेगी और इसके लिए माता-पिता के परामर्श से नियमित जांच भी करवायेगी।

All applicants are required to disclose any kind of permanent disabilities or ailments or diseases or allergy at the time of admission with relevant medical papers. Hostel Warden/Asst. Hostel Warden shall maintain a list of Residents with permanent disability or ailment or disease or allergy and shall get regular medical check-ups in consultation of parents for the same.

5.3 आपातकालीन चिकित्सा के दौरान विद्यार्थी/कक्ष साथी/विंग साथी छात्रपाल / सहायक छात्रपाल / ड्युटी नर्स से संपर्क करेंगे।

In case of medical emergency, the students/room-mates/wing mates shall contact Hostel Warden / Asst. Hostel Warden/ Duty Nurse.

5.4 विद्यार्थी संध्या 7 से 8 बजे (सोमवार, बुधवार और शुक्रवार) तक परिसर चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर सकते हैं और आपातकालीन स्थिति में परिसर चिकित्सक को परामर्श शुल्क चुकाये बिना भी उक्त सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। वे अपनी इच्छानुसार किसी दूसरे चिकित्सक से मुलाकात कर सकते हैं, यदि आवश्यक हो तो।

Students may avail the Campus medical facility from 07:00 P.M. to 08:00 P.M. (Monday, Wednesday and Friday) and in emergency cases without paying consultation fee from the Campus Doctor. They may also visit any other doctor of their own choice, if required

5.5 मदर एवं चाइल्ड अस्पताल, एमवीआर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, लुर्धे अस्पताल, कोपरेटिव अस्पताल, परियारम मेडिकल कॉलेज, एकेजी, एमआईएमएस, अपोलो क्लिनिक इत्यादि में चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हैं जो कि पास में ही हैं।

Hospital facility is available nearby are Mother and Child Hospital, MVR Multi Speciality Hospital, Lurdhe hospital, Co-operative hospital, Pariyaram Medical College, AKG, MIMS, Apollo Clinic etc.

VIOLATION OF HOSTEL RULES WILL ATTRACT STRICT DECIPLINARY ACTION.

In all matters of discipline, decision of Director will be final.



संलग्नक/ANNEXURE

1. छात्रावास आवेदन प्रपत्र
Hostel Application Form
 2. गैर-रैगिंग वचनबंध प्रपत्र (निफ्ट, मुख्यालय द्वारा अनुमोदित)
Anti-Ragging Undertaking form (Approved by NIFT, HO)
 - a) विद्यार्थी द्वारा वचनबंध/UNDERTAKING BY THE STUDENT
 - b) माता या पिता/अभिभावक द्वारा वचनबंध/UNDERTAKING BY PARENT / GUARDIAN
 3. छात्रावास अनुरक्षण वचनबंध प्रपत्र/Hostel Upkeep Undertaking Form
 4. छात्रावास बहिर्गमन प्रपत्र/Hostel Out Pass form
 5. प्रावकाश के दौरान यात्रा विवरण/Travelling details during Vacation
 6. शैक्षिक / औद्योगिक भ्रमण सहमति पर्ची/Educational /Industrial Trip Consent Slip
 7. छात्रावास आवंटन पर्ची/Hostel Allotment Slip
 8. छात्रावास छोड़ने का पर्ची/Hostel Vacating Slip
 9. कक्ष आवंटन पर्ची (अस्थायी आधार पर)/Room Allotment Slip (Temporary basis)
- ***छात्रावास में प्रवेश लेने के समय केवल प्रपत्र को क्रमांक 1, 2 और 3 में ही जमा किया जाए।
दिये गये प्रपत्र में स्वयं, अभिभावक और स्थानीय अभिभावक का छायाचित्र भी चिपकाएं।

Only Form at Sr. Nos. 1,2 & 3 is to be submitted at the time of admission to hostel. Also fix photos of Self, Guardian and Local Guardian.

छात्रावास आवंटन 29 जुलाई 2024 से आरंभ होगा।

Hostel Allotment will start from 29th July 2024

द्वारा हस्ताक्षरित/Sd/-
संयुक्त निदेशक/JOINT DIRECTOR



प्रपत्र सं./Form No. 1

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, कन्नूर

NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, KANNUR

छात्रावास आवेदन प्रपत्र

HOSTEL APPLICATION FORM

Affix self-
attested Colour
photo of Student

क्रमांक SL.NO.	कक्ष विवरण ROOM DETAILS	विकल्प के सामने सही का निशान लगाएं PUT A TICK MARK AGAINST THE OPTION
1	सार्वजनिक शौचालय युक्त गैर-वातानुकूलित कक्ष(तीन अधिभोग हेतु) NON-AC ROOM (TRIPLE OCCUPANCY) WTTTH COMMON BATH ROOM	
2	सार्वजनिक शौचालय युक्त वातानुकूलित कक्ष(तीन अधिभोग हेतु) AC ROOM (TRIPLE OCCUPANCY) WITH COMMON BATHROOM	
3	सार्वजनिक शौचालय युक्त वातानुकूलित कक्ष(तीन अधिभोग हेतु) AC ROOM (TRIPPLE OCCUPANCY) WITH ATTACHED BATH ROOM	

एमएफएम/एम डेज/बीएफटी/बी डेज(एफसी,एफडी,टीडी,केडी)/विभाग/रोल सं.

MFM/MDes/BFTech,/BDes(FC,FD,TD,KD)/Dept/ Roll No.



भुगतान रसीद संख्या, यदि भुगतान की गई:.....

Payment Receipt Number, If paid:.....

व्यक्तिगत आंकड़ें/PERSONAL DATA:

पूरा नाम(कुलनाम) Full Name (with Surname)	
आवासीय पता Residential Address	
ई-मेल/Email	
एसटीडी कोड सहित फोन संख्या Phone number with STD code	मोबाइल/Mob: आवास/Res:
जन्मतिथि/Date of Birth	
राष्ट्रीयता/Nationality	
रक्त समूह/Blood Group	
कोई गंभीर स्वास्थ्य मुद्दा है क्या? Any Serious Health Issues	हां/नहीं/Yes/NO यदि हां तो कृपया चिकित्सक प्रमाणपत्र के साथ प्रदान करें। If yes please provide along with doctor certificate



पारिवारिक आंकड़ें/FAMILY DATA:

माता या पिता का पूरा नाम Full name of the parent	
व्यवसाय/Occupation	
कार्यालय पता/Office Address	
पदनाम/Designation	
ई-मेल/Email:	
दूरभाष सं.(एसटीडी कोड सहित) Tel. No. (With STD code)	
स्थानीय अभिभावक/LOCAL GUARDIAN	
नाम/Name	
पता (प्रमाण संलग्न की जाए) Address (Proof to be attached). पता/मोबाइल सं. में यदि किसी प्रकार के परिवर्तन हो तो शीघ्र अद्यतन किया जाए। Any change in address/Mob No. may be updated immediately	
दूरभाष सं.(मोबाइल/आवास) Tel. No. (Mob/Res)	
किसी सबसे करीब व्यक्ति(आपातकालीन स्थिति में)/आउट पास मुद्दा के संबंधी संपर्क विवरण Contact details of any nearest person (in case of emergency)/ OUT PASS issue	
नाम/Name	



पता/Address	
दूरभाष सं.(मोबाइल/आवास)	
Tel. No. (Mob/Res)	

Affix self-attested Colour photo of parents
(Father)

Affix self-attested Colour photo of parents
(Mother)

Affix your local guardian's self Attested recent color photo

मैं घोषणा करता हूँ कि उक्त दिये गए सूचना मेरी जानकारी के मुताबिक सही है। मैं सहमत हूँ कि यदि उपरोक्त दी गई सूचना गलत है तो मेरी भर्ती निरस्त कर दी जाए।

I declare that the information given above is true to the best of my knowledge. I agree that if any information furnished above is found to be incorrect my admission is liable to be cancelled.

मैं समझ ली हूँ और एतद्वारा सहमत हूँ कि मैं बलपूर्वक छात्रावास के नियमों तथा विनियमों का पालन करूँगी।

I have seen and hereby agree that I will abide by the Rules and Regulations of the hostel in force

दिनांक/Date:

आवेदक के हस्ताक्षर/Signature of the Applicant

मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरे प्रतिपाल्य..... को निफ्ट छात्रावास में भर्ती कर ली जाए। मैं शपथ लेता हूँ कि वह(पुरुष)/वह(स्त्री) छात्रावास के नियमों तथा विनियमों को पढ़ ली है और इसका पालन भी करेगी। मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे प्रतिपाल्य के पास कोई भी चिकित्सा मुद्दा नहीं है।

I request you to admit my ward Mr. / Ms. to the NIFT hostel. I give an undertaking that he / she have read and will abide with all Rules & Regulation of the Hostel. I also certify that my ward is not having any medical issue.

दिनांक/Date:

माता या पिता/स्थानीय अभिभावक के नाम एवं हस्ताक्षर
Signature & Name of the parent/ Local Guardian



राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, कन्नूर
NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, KANNUR

प्रपत्र सं./FORM NO. 2A.

गैर-रैगिंग शपथपत्र/UNDER TAKING FOR ANTI RAGGING
(विद्यार्थी द्वारा भरा जाए/To be filled in by the Student)

मैं----- पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती-----
-----, निफ्ट कन्नूर परिसर का विद्यार्थी वर्ष-----
माह----- दिन----- को एतद्वारा शपथ लेता हूं कि:
I,-----
S/o, D/o, of Mr./Mrs.-----
a student of NIFT, Kannur center hereby undertake on this day -----month -----
year -----, that:

- कि मैं गैर-रैगिंग के ऊपर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों को पढ़कर समझ ली हूं।
- That I have read and understood the directives of the Hon'bl Supreme Court of India on anti-ragging.
- कि मैं रैगिंग के अर्थ को समझता हूं और जानता हूं कि किसी भी रूप में रैगिंग दंडनीय अपराध है जिसे न्यायालय द्वार प्रतिबंध किया गया है।
- That I understand the meaning of ragging and know that the ragging in any form is punishable offence and the same is banned by the Court of Law.
- कि मैं किसी भी जगह और किसी भी रूप में रैगिंग का सहारा नहीं लुंगी और समय दर समय उक्त प्रयोजन हेतु न्यायालयों, भारत सरकार और संस्थान के प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित नियमों/कानूनों का पालन करूंगी।
- That I shall not resort to ragging in any form at any place and shall abide by the rules/laws prescribed by the Courts, Govt. of India and the Institute authorities for the purpose from time to time.

मैं एतद्वारा सहमत हूं कि अगर रैगिंग के किसी भी पहलु में दोषी पाया गया तो मुझे निफ्ट के नियमानुसार दंडित किया जाए।

I hereby agree that if found guilty of any aspect of Ragging, I may be punished as per the rules of NIFT.

दिनांक सहित विद्यार्थी के हस्ताक्षर/Signature of the Student with Date

पूरा नाम/Name in full :

पता/Address :

दूरभाष संख्या/Telephone Nos. :



राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, कन्नूर
NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, KANNUR

प्रपत्र सं./FORM NO. 2B

गैर-रैगिंग हेतु शपथपत्र

(माता या पिता/अभिभावक द्वारा भरा जाए)

UNDER TAKING FOR ANTI RAGGING

(To be filled by the Parent/ Guardian)

मैं.....

पिता/माता/अभिभावक..... समझता हूं कि रैगिंग एक दांडिक अपराध है। मैं निफ्ट के प्रबंधन को आश्वस्त करता हूं कि मेरा पुत्र/पुत्री/प्रतिपाल्य रैगिंग के किसी भी कृत्य में शामिल नहीं होगा। मैं एतद्वारा सहमत हूं कि यदि वह(पुरुष)/वह(स्त्री) रैगिंग के किसी पहलु में दोषी पाया गया तो उसे(पुरुष)/उसे(स्त्री) निफ्ट के नियमानुसार दंडित किया जाएगा।

I,.....Father/mother/guardian
of

Understand that Ragging is a criminal offence. I assure the management at NIFT that my son / daughter / ward will not indulge in any act of Ragging. I hereby agree that if he/she found guilty of any aspect of Ragging, he/she may be punished as per rules of NIFT.

दिनांक सहित हस्ताक्षर/ Signature with date

पूरा नाम/Name in full :

पता/Address :

दूरभाष संख्या/Telephone Nos. :



राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, कन्नूर
NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, KANNUR

प्रपत्र सं./FORM NO. 3

छात्रावास समारक्षण शपथपत्र/HOSTEL UPKEEP UNDERTAKING

सेवा में/To,
निदेशक/The Director
निफ्ट, कन्नूर/NIFT, Kannur.

मैंने----- पुत्री----- रोल
सं.----- पाठ्यक्रम----- में प्रवेश ली और मैं --
----- छात्रावास में कक्ष सं.----- में रहती हूँ और शपथ लेता/लेती हूँ कि:

I S/D of Admitted to
..... course, bearing Roll No.
and staying in room no..... in hostel name hereby gives undertaking
that:

- मैं छात्रावास के अंदर धूमपान या पान/गुटका/तंबाकूया या नशीली पदार्थ का सेवन नहीं करूंगी।
- I will not smoke or chew betal/ gutka/ tobacco or similar products inside the hostel.
- मैं निफ्ट छात्रावास में वास करने के दौरान शराब या मादक द्रव्य का सेवन नहीं करूंगी।
- I will not take liquor or drugs during my stay in NIFT hostel.
- मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रैगिंग में शामिल नहीं रहूंगी और छात्रावास के अंदर किसी भी अवांछनीय गतिविधियों का सहारा नहीं लूंगी जो निफ्ट के छवि को दूषित करें।
- I will not indulge in ragging directly or indirectly and will not resort to any undesirable activities inside the hostel, which may tarnish the image of NIFT.
- छात्रावास के अंदर अन्य या मुझे परेशान करने की हालात में, मैं उक्त तथ्य को छात्रावास/परिसर के अंदर निदेशक/संयुक्त निदेशक/आधिकारिक प्रभारी/छात्रपाल या किसी अन्य अधिकारी के संज्ञान में तुरंत लाऊंगा।



- In case of any harassment to others or me inside the hostel, I will bring immediately the facts to the notice of the Director /Joint Director/Officer In charge/Warden or any other official of NIFT present inside the hostel/Campus.
- मैं आयरन बॉक्स, पंखा, हीटर, इंडक्सन स्टोव, इलेक्ट्रिक केतली, स्टिचिंग मशीन इत्यादि जैसी वस्तुओं का उपयोग नहीं करूंगा जिससे इलेक्ट्रिकल सर्किट की क्षति हो।
- I will not use any electrical items like iron box, Fan, Heater, Induction stove, Electric kettle, Stitching machine etc.) which may damage the electric circuit.
- यह मेरा कर्तव्य है कि छात्रावास प्रबंधन/छात्रपाल/आधिकारिक प्रभारी को अद्यतन करें। यदि मेरे कक्ष के साथी में से कोई भी छात्रावास की सुविधाओं का दुरुपयोग करता है।
- It is my duty to update the Hostel management/Warden/Officer in charge. If any of my roommate is misuse the Hostel facilities.
- मैं छात्रावास के अंदर किसी भी प्रकार की अशांति(चाहे शोरगुल हो या शारीरिक) का सृजन नहीं करूंगी।
- I will not create disturbance of any sort (whether noise or physical) inside the hostel.
- मैं मैनुअल में यथावर्णित छात्रावास और भोजन करने का समय का पालन करूंगी।
- I will abide by the hostel timing and the mess timings as mentioned in the manual.
- मैं छात्रावास के अंदर प्रत्येक के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखूंगी और छात्रावास के साथ परिसर में व्यवस्थित होने में दूसरों की सहायता करूंगी।
- I will maintain cordial relations with everyone inside the hostel and will help others in getting settled in the hostel as well as the campus.
- मैं अपने कक्ष को साफ-सुथरा रखूंगी और निफ्ट द्वारा मुझे प्रदान किए गए किसी भी वस्तु/उपकरण को क्षति नहीं पहुंचाऊंगी।
- I will keep my room clean and tidy and will not indulge into destruction of any article/ equipment provided to me by NIFT.
- मैं छात्रावास को साफ रखने और रहने के लिए एक शांत वातावरण को बनाये रखने में अपनी पूर्ण सहयोग दूंगी।
- I will give my full cooperation in keeping the hostel neat and clean and creating a comfortable environment to stay.

- छात्रपाल(छात्रावास) या निफ्ट के किसी अन्य अधिकारी की अनुपस्थिति में, मैं छात्रावास के अंदर स्वस्थ वातावरण बनाये रखुंगी और यह सुनिश्चित करुंगी कि जब तक छात्रावास और/या संबंधित अधिकारी वापस लौटकर ना आए तब तक शांति बनाये रखुंगी।
- In the absence of hostel warden or any other officer of NIFT, I will maintain healthy environment inside the hostel and will ensure that no disturbance is there until the time, the warden and/or concerned officer returns.
- मैं रात में होने वाली हाजिरी में नियमति उपस्थित रहुंगी और यह सुनिश्चित करुंगी कि दूसरे भी प्रत्येक दिन उक्त कार्य हेतु उपस्थित रहें।
- I will be regular in the night attendance and will ensure that others are also present for the same every day.
- मैं विशेषकर 11.00 बजे के बाद बिना शोरगुल/क्लेशकारी के छात्रावास की मान-मर्यादा तथा पवित्रता को बनाए रखुंगी। यदि मैं किसी नियम/विनियम का उल्लंघन करते पाया गया तो प्रबंधन विनिष्कासन सहित कोई भी कार्रवाई करने के लिए मुक्त होंगे।
- I shall maintain the dignity and sanctity of the hostel by not creating noise/nuisance; especially after 11:00 pm. Management is free to take any action including rustication if I found breaching any rules/regulations.
- छुट्टी के समय जाने पर, मैं छात्रपाल या निफ्ट के संबंधित किसी अन्य अधिकारी को माता या पिता/अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित तथा विधिवत भरे गए प्रारूप को जमा करुंगी और अपनी अच्छी दशा तथा वापसी की तारीख के बारे में छात्रपाल को सूचित करुंगी।
- While going on leave, I will submit the required format duly filled and signed by Parent/Guardian to the hostel warden or any other concerned officer of NIFT and will keep the warden informed about my wellbeing and date of return.
- छात्रावास खाली करते समय, मैं छात्रपाल द्वारा निफ्ट द्वारा मुझे उचित कार्यशील स्थिति में दिए गए सामान/उपकरणों के साथ छात्रपाल(छात्रावास) द्वारा मेरे कक्ष को अपने कब्जे में लेने के बाद ही छोडुंगी।
- At the time of vacating the hostel, I will leave only after the taking over of my room by the hostel warden along with the articles/equipments in proper working condition given to me by NIFT.
- मैं प्रमाणित करती हूं कि मैं नियमपुस्तिका का अध्ययन कर ली हूं और मैं नियमपुस्तिका में निर्धारित नियमों तथा विनियमों का पालन करुंगी।
- I certify that I have studied the rulebook and I will abide by all rules and regulations prescribed in the rulebook.
- मैं समय दर समय उपरोक्त शपथ तथा मुझे दिए गए सभी अनुदेशों का मौखिक एवं लिखित रूप में पालन करुंगी। यदि मैं किसी भी समय और किसी भी तरीके से नियमों एवं अनुदेशों का उल्लंघन करते पाया गया तो मैं अपने पाठ्यक्रम को जारी रखने से या निफ्ट प्राधिकारियों द्वारा उचित समझी जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई के अधीन

होने से वंचित किया जा सकता हूँ।

- I will abide by the above undertaking and all instructions given to me orally as well as in writing from time to time. If I am found breaking the rules and instructions in any way at any time, I am liable to be debarred from continuing with my course or subject to any other action deemed fit by the NIFT authorities
- मैं छात्रावास नियमावली को अच्छी तरह से पढ़ ली हूँ और इसमें उल्लेखित नियमों तथा विनियमों का पालन करने का वादा करती हूँ।
- I have read and gone through the hostel manual and promise to abide by the rules and regulations mentioned therein.

** प्रबंधन द्वारा छात्रावास से निष्कासन के मामले में शेष माह का छात्रावास फी प्रतिदेय नहीं होगा।

Hostel fee for remaining month will not be refundable in case of expulsion from hostel by the management.

स्थान/PLACE:

दिनांक/DATE :

विद्यार्थी के हस्ताक्षरSIGNATURE OF THE STUDENT

नाम/NAME:

पता/ADDRESS:

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, कन्नूर
NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, KANNUR

प्रपत्र सं./Form no. 4

विद्यार्थी का नाम और रोल सं./Name of the Student & Roll No.: _____

विभाग/सत्र/Department/Semester: _____

पता एवं संपर्क संख्या/Address & Contact Number: _____

सीसी एवं परामर्शदाता का नाम/Name of the CC and Mentor: _____

आउट पास/रात में बाहर जाने के कारण/Reason for out pass/Night out:

मैं रात में _____ से _____ तक बाहर जाने के लिए आवेदन करता हूँ। /I apply for night out from _____ to _____

मैं रात में _____ से _____ तक आउट पास के लिए आवेदन करता हूँ। /I apply for out pass from _____ to _____

मैं अपने माता-पिता/अभिभावक को मेरे नाईट आउट/आउट पास का समय के बारे में सूचित किया हूँ जिसे मेरे माता-पिता से सत्यापित किया जा सकता है। I have informed my parents/guardians regarding my Night out/out pass purpose and timing, and the same can be verified from my parents.

पिता का नाम एवं मोबाईल संख्या/Father's Name & mob. No. _____

माता का नाम एवं मोबाईल संख्या/Mother's Name & mob. No. _____

मैं परिसर के बाहर और छात्रावास के परिक्षेत्र में किए गए गतिविधियों का जिम्मेदारी लेता हूँ और इस दौरान परिसर के बाहर और छात्रावास परिक्षेत्र मेरे द्वारा किए गए किसी भी गतिविधि के मामले में निफ्ट जिम्मेदार नहीं होगा।

I take responsibility for my activities outside the hostel premises and will not hold NIFT responsible for any of my activities outside the hostel premises during this time.

विद्यार्थी का नाम एवं हस्ताक्षर/Name of the student & Signature: _____

वार्डन/सुरक्षा प्रभारी

के हस्ताक्षर/Signature of the Warden/Security In charge

दिनांक/Date :

समय/Time:

दिनांक/Date :

समय/Time:

नोट: छात्रावास आउट पास अनुरोध कम से कम 24 घंटे पहले वार्डन/सुरक्षा प्रभारी को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

Note: Hostel Out Pass request should submit Warden/Security In charge at least 24 hours in advance.

संपर्क सं. 1. आंतरिक परिसर के छात्रपाल(छात्रावास) का संपर्क संख्या: 9446007200, 2. बाह्य परिसर के छात्रपाल(छात्रावास) का संपर्क संख्या: 8943087257

Contact No. 1. Hostel Warden Inside Campus:9446007200, 2. Hostel Warden Outside Campus: 8943087257

_____ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ _____

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, कन्नूर
NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, KANNUR

प्रपत्र सं./FORM NO. 5

छुट्टी के दौरान यात्रा विवरण/TRAVELLING DETAILS DURING VACATION

सत्र ब्रेक/SEMESTER BREAK -20____

विवरण/PARTICULARS	ब्योरा/DETAILS
विद्यार्थी का नाम/ई-मेल और मोबाईल संख्या Name of the student/ E-mail id & mobile no	
रोल संख्या, विभाग, सत्र Roll number, Department, Semester	
छात्रावास से जाने का दिनांक व समय Date & time of leaving from hostel	
दौरा/निवास स्थान को छोड़कर कोई अन्य पता/आगमन/प्रस्थान का जगह Places of visit/address other than home town/arrival/departure दौरा योजना के अनुसार समय निर्धारण Timings as per tour plan	
गृह नगर में (बस/रेलगाड़ी/हवाई जहाज) में चढ़ने का दिनांक एवं समय Date & time of boarding (bus/train/flight) at home town	

<p>घर में पहुंचने का निर्धारित दिनांक एवं समय, संपर्क पता और मोबाईल संख्या युक्त गंतव्य</p> <p>Scheduled date & time of arrival at home, destination with contact address & mobile number</p>	
<p>छुट्टी के बाद परिसर में पहुंचने का दिनांक और समय</p> <p>Date & time of arrival at campus after vacation</p>	

मैं एतद्वारा यह बताना चाहता हूँ कि मैं अपने माता-पिता को उपरोक्त के अनुसार अपनी पूरी की हुई यात्रा योजना के विषय में सूचित कर दिया हूँ।

I do hereby state that I have informed my parents about my complete travel plan as indicated above.

विद्यार्थी के हस्ताक्षर
Signature of the student

प्रपत्र सं./FORM NO.6

शैक्षिक/औद्योगिक यात्रा सहमति पर्ची

EDUCATIONAL/INDUSTRIAL TRIP CONSENT SLIP

से/From (स्थान एवं दिनांक/Place and date):.....

तक/To (स्थान एवं दिनांक/Place and Date).....

प्रिय महोदय/महोदया/Dear Sir/Madam,

मैं अपनी जिम्मेदारी पर उपरोक्त शैक्षिक/औद्योगिक यात्रा करने के लिए सहमति देती हूँ।

I agree to undertake the said educational/industrial trip at my own responsibility.

विद्यार्थी का नाम Name of the Student	
पाठ्यक्रम/रोल सं. Course/RollNo.	
उस व्यक्ति का फोन संख्या जिनसे संपर्क किया जा सके Person to be contacted	
आपातकाल के दौरान In case of emergency	
आपातकालीन संपर्क संख्या Emergency contact no.	

ई-मेल: E mail id:	
विद्यार्थी का रक्त समूह Blood Group of the student	

विद्यार्थी के हस्ताक्षर/Signature of Student:

छात्रापल(छात्रावास) के हस्ताक्षर
Signature Hostel Warden.

प्रशासनिक विभाग के हस्ताक्षर
Signature Admin Dept.

प्रपत्र सं./FORM NO.7

कक्ष आबंटन पर्ची
ROOM ALLOTMENT SLIP

मैंने----- पुत्री----- रोल

सं.----- पाठ्यक्रम----- में प्रवेश ली और मुझे

----- छात्रावास में कक्ष सं.----- आवंटित की गई है।

I _____ Daughter of _____

Admitted to Course _____ bearing Roll No. _____ have been allotted room no-
_____ in hostel _____

मुझे मेरे आवास की अवधि के दौरान संस्थान द्वारा निम्न वस्तुएं प्रदान की गई हैं।

The following items have been provided to me by the institution during my period of accommodation.

क्रमांक S. No.	संस्थान द्वारा विद्यार्थी को वस्तुएं प्रदान की गई Items provided to the student by the	छात्रपाल से वस्तुओं को प्राप्त करने के समय विद्यार्थी के हस्ताक्षर	विद्यार्थी से वस्तुओं को प्राप्त करने के समय छात्रपाल के हस्ताक्षर
1			
2			
3			
4			
5			
6			

मैं एतद्वारा वचन देता हूँ कि मैं ऊपर वर्णित किसी भी वस्तुओं के खोने, क्षति के लिए जिम्मेदार होऊंगा जिसे मुझे प्रदान किया गया और छात्रावास के सभी नियमों का मौखिक के साथ लिखित रूप में अनुपालन करूंगा।

I hereby undertake that I will be responsible for losing, damaging any of above-mentioned items provided to me and follow all the norms of the hostel given to me orally as well as in writing

दिनांक सहित विद्यार्थी के हस्ताक्षर
Signature of the student with Date

प्रपत्र सं./FORM NO. 8

कक्ष छोड़ने हेतु पर्ची/ROOM VACATING SLIP

छात्रपाल से (विद्यार्थी द्वारा छात्रावास छोड़ने के समय इसे भरा जाए)

From the warden (to be filled up at the time of student leaving the hostel)

यह प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री/श्रीमती ----- पाठ्यक्रम-----
----- रोल सं.----- कक्ष सं. ----- में -----
----- छात्रावास----- में ठहरने के बाद सभी वस्तुओं/उपकरणों को प्रस्तुत की है जिसे छात्रावास में
सम्मिलित होने के समय उसे जारी की गई थी।

*This is to certify that
Ms.....of.....course bearing
RollNo.....and staying in room no.....in
hostelname.....has submitted all the articles/equipments
on(Date).....which had been issued to him/ her at the time of
joining the hostel .*

क्रमांक S. No.	संस्थान द्वारा विद्यार्थी को वस्तुएं प्रदान की गई Items provided to the student by the institution.	छात्रपाल से वस्तुओं को प्राप्त करने के समय विद्यार्थी के हस्ताक्षर Sign. of the student while	विद्यार्थी से वस्तुओं को प्राप्त करने के समय छात्रपाल के हस्ताक्षर
1			
2			
3			
4			
5			
6			

द्वारा निरीक्षण किया गया/Inspected by छात्रपाल(छात्रावास) के हस्ताक्षर/*Signature of Hostel
Warden*

Date:.....

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, कन्नूर
NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, KANNUR

अस्थायी आधार पर कक्ष आवंटन पर्ची/ROOM ALLOTMENT SLIP ON TEMPORARY BASIS

सेवा में/To

निदेशक/संयुक्त निदेशक/The Director/Joint Director

निफ्ट कन्नूर/NIFT Kannur

मैंने----- पुत्री-----रोल सं.-----
----- पाठ्यक्रम----- में प्रवेश ली।

मैं ----- के उद्देश्य से ----- दिनांक ----- से -----
तक ----- दिनों की अवधि के लिए छात्रावास के आवंटन के लिए अनुरोध करती हूँ।

I _____ Daughter of _____ Admitted to Course
_____ bearing Roll No. _____ requesting for
allotment of Hostel for the period of _____ days From _____ To _____ for
the purpose of _____.

मैं एतद्वारा शपथ लेता हूँ कि मैं छात्रावास के नियमों/विनियमों और मुझे दिये गये निर्देशों का मौखिक के साथ-साथ लिखित रूप में भी पालन करूंगा। मैं ठहरने के लिए अपेक्षित शुल्क का भुगतान करूंगा।

I hereby undertake that I will abide by the Hostel rules/regulations and instructions given to me orally as well as writing. I will pay the requisite charges for the stay.

दिनांक सहित विद्यार्थी के हस्ताक्षर/Signature of the Student with Date

अनुशंसित की गई/अनुशंसित नहीं की गई/Recommended/Not Recommended

छात्रपाल(छात्रावास) Hostel Warden:

सीसी हस्ताक्षर/ CC's Signature:

**संयुक्त निदेशक/ निदेशक
JOINT DIRECTOR/DIRECTOR**